छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर, 2011
(भाद्रपद-16, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा बिलासपुर में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति एवं प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का उल्लेख करना प्रारंभ किया।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के पश्चात् अन्य विषय उठाने एवं प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया। माननीय अध्यक्ष ने पुन: प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 एवं 13 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 01, 05, 06 एवं 12 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, रुद्र कुमार गुरु, संतोष बाफना एवं नंदकुमार पटेल अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित एवं 38 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रामविचार नेताम, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार -

(i) अधिसूचना क्रमांक 112/एक-4-1/2003, दिनांक 10 फरवरी, 2011, तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक 4404/डी-1537/21-ब/छ.ग./2011, दिनांक 24 जून, 2011

(2) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक/एफ-7-18/2010/32, दिनांक 10 जनवरी, 2011,
पटल पर रखे गये ।

3. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा नक्सली क्षेत्रों में पदस्थ जवानों को पर्याप्त संसाधन एवं रसद उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी 34 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से तथ्यात्मक सूचना होने के कारण श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य की सूचना पढ़ी गई।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता पर चर्चा

डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता पर चर्चा प्रारंभ की।

5. व्यवस्था का प्रश्न

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता की चर्चा में स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य ही चर्चा करते हैं एवं स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्ता कर चर्चा में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भाग नहीं ले सकते।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं।

6. व्यवस्था

1. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता की चर्चा पर सत्ता पक्ष के सदस्य भी विचार रख सकते हैं

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सदन की यह परंपरा रही है कि ग्राह्ता के उपर जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, वे अपने विचार रखेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य अनुमति प्राप्त कर अपने विचार रख सकते हैं और यह बता सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव को क्यों अग्राह्य किया जावे।

2. सदन में जानकारी देने के पूर्व उसकी पुष्टि आवश्यक है

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कतरनों का उल्लेख करने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - समाचार पत्रों एवं अन्य स्त्रोतों से जो जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें सदन में कहने से पूर्व माननीय सदस्यों को उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य कर लेना चाहिये। सदन को असत्य जानकारी से अवगत कराना न केवल सभा की अवमानना होगी, अपितु अनेक अवसरों पर तथ्यों से अलग जानकारी के कारण सदन का समय भी व्यर्थ होता है।

ऐसी सावधानी की तब अधिक आवश्यकता है जबकि कोई सदस्य नियम प्रक्रियाओं से अलग सदन को कोई जानकारी या तथ्य देना चाहता है और उस तथ्य की पुष्टि नहीं होती। उन्होंने माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि कृपया इसका ध्यान रखें और कार्यवाही संचालन में सहयोग दें।

(व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही 12.47 बजे स्थगित होकर 1.27 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रकरण के पटाक्षेप करने का अनुरोध किया साथ ही यह कथन किया कि सदन स्थगित होने से पहले किसी माननीय सदस्य की बात से माननीय अध्यक्ष को दुःख पहुंचा है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर सहमति दी साथ ही आज सभा में निर्मित परिस्थितियों के लिए स्वयं को भी जिम्मेदार मानते हुए आसंदी से क्षमा प्रार्थना की।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

7. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नंदकुमार पटेल, मोहम्मद अकबर, बोधराम कंवर, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, लेखराम साहू, अमरजीत भगत, रविन्द्र चौबे।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(2.32 से 3.31 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य ने जिला-बिलासपुर अन्तर्गत कोटा के पुराने पुलिस ग्राउण्ड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण हेतु अनुमति नहीं दिये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में खाद की कालाबाजारी किए जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणा अनुसार श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य की नियम 267 क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई एवं

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने विकासखंड कवर्धा, ग्राम पंचायत तमरूवा के सरपंच एवं सचिव द्वारा अनियमितता किये जाने,

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य द्वारा मलेरिया की रोकथाम हेतू गम्बूजिया मछली तालाबों में डाले जाने, एवं

(3) श्री अमरजीत भगत, सदस्य द्वारा शिक्षाकर्मी में स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को नियुक्ति में प्राथमिकता नहीं दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढी।

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-30, बिलासपुर के सदस्य श्री अमर अग्रवाल द्वारा अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र में दिनांक 7 सितम्बर से दिनांक 10 सितम्बर, 2011 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-83, कोण्डागांव की सदस्य सुश्री लता उसेंडी द्वारा अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र में दिनांक 7 सितम्बर से दिनांक 10 सितम्बर, 2011 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री ह्दयराम राठिया, सदस्य ने लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) मड़िया कछार से पेलमा मार्ग पर स्थित लोकड़ा नाले में पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम कुर्रा में आश्रम खोलने,

(iii) ग्राम घटगांव में छात्रावास खोलने,

(iv) ग्राम किलकिला (लकराघारा) से नवागांव मार्ग पर स्थित मुड़ानाला नदी में पुलिया निर्माण करने,

(v) लैलूंगा में संचालित 30 बिस्तर अस्पताल का 60 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन करने,

(vi) लैलूंगा में कोषालय खोलने,

(vii) ग्राम जतरा से खार मार्ग पर खारून नदी में पुल निर्माण करने, तथा

(viii) ग्राम पंचायत सुबरा से पिपराही के बीच स्थित नदी में पुल निर्माण करने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011 (क्रमांक 16, सन् 2011)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011 (क्रमांक 16, सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17, सन् 2011)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17, सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14, सन् 2011)

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14, सन् 2011) पर विचार किया जाय ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री देवजी पटेल, टी.एस.सिंहदेव, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी, फूलचंद सिंह।

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक (6) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

सायं 5.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 08 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 17, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा